FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0077 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/03/2026 17:41 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/10/2025 **Date To (दिनांक तक):** 30/10/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 17:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:16 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/03/2026 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/03/2026 17:41:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** UPKHAND KARYALAY, SURATGARH JILA SHRIGANGANAGAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DEEPAK GAUR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KRISHNA KUMAR GAUR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO. 28 NAYA, GAUSHALA KE PICHE SURATGARH, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO. 28 NAYA, GAUSHALA KE PICHE SURATGARH, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RANVEER		पिता:NANDRAM GODARA	1. G-12,KARIYALAY UP KHAND ADHIKARI KE SAMNE,RAJASW COLONY,SURATGARH,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनाक 29.10.2025 को समय 05.00 पीएम पर परिवादी श्री दीपक गौड़ पुत्र श्री कृष्ण कुमार गौड, उम्र-36 वर्ष जाति-ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 28 नया, गौशाला के पीछे, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया किया मैने प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय का हस्तलिखित होना बताया व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मैं वर्तमान में होमगार्ड, राजस्थान गृह रक्षा विभाग के पद पर डयूटि करता हूं। मैं एसडीएम ऑफिस सूरतगढ़ में बतौर होमगार्ड मार्च 2025 से निरन्तर डयूटि कर रहा हूं, एसडीएम कार्यालय द्वारा डयूटि होमगार्ड कि आवश्यकता भेजने पर कमान्डेन्ट होमगार्ड कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा हमारी डयूटि एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ में लगाई गई, एसडीएम कार्यालय द्वारा प्रत्येक महीने पूर्ण होने पर हमारी पूरे महिने कि हाजरी कमान्डेन्ट होमगार्ड कार्यालय श्रीगंगानगर को भिजवाई जाती है, जिस पर उनके द्वारा वेतन बिल बनाकर वापिस एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ को भिजवाया जाता है। बिल को एसडीएम कार्यालय प्रभारी द्वारा प्रमाणित कर ट्रेजरी भिजवाया जाता है, जिसके बाद मेरे खाते में उस महीने का वेतन करीब 24000/-रूपये आ जाता है। एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ का सरकारी बाबू रणवीर गोदारा मेरे सैलरी बिल का काम देखता है, वही बिल प्रमाणित करवाकर ट्रेजरी भेजता है, उक्त बाबू रणवीर गोदारा ने मुझसे सितम्बर 2025 का बिल ट्रेजरी भिजवाकर मेरी सैलरी पास करने की एवज में मुझसे 3000/-रूपये कि रिश्वत मांग रहा है तथा मुझे कहा है कि तुम हर महिने मुझे 3000/-रूपये रिश्वत के दे दिया करो फिर चाहे तुम ऑफिस में रात्रि डयूटि भी मत करना तथा तुहारी यहां हमेशा डयूटि लगवाउंगा और यदि तुम मुझे प्रतिमाह 3000/-रूपये रिश्वत के नही दोगे तो तुम्हारा सितम्बर माह का सैलरी बिल रोक लूंगा तथा तुम्हारी एसडीएम कार्यालय से डयूटि भी हटवा दूंगा। श्रीमान् मैं मेरे जायज काम के बदले रणवीर गोदारा बाबू को रिश्वत नहीं देना चाहता, मैं रणवीर बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, मेरी रणवीर बाबू से कोई दुश्मनी नही है व ना ही पैसो का कोई लेन देन शेष है कृपया उचित कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी श्री दीपक गौड़ के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी के प्रार्थना पत्र व आधार कार्ड की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। समय 05.45 पीएम पर परिवादी श्री दीपक गौड़ को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, परिवादी श्री दीपक गौड़ से ब्युरो के श्री रामजस कानि. 109 का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री दीपक गौड़ को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की गई, परिवादी श्री दीपक गौड़ ने बताया की अब शाम हो चुकी है और अब रणवीर गोदारा बाबू नहीं मिलेगें, इसलिए आप रामजस जी को कल सुबह डिजिटल वाईस रिकार्डर देकर सूरतगढ़ भेज देना मै वहां पर उससे मिल लूगां, फिर मैं रणवीर गोदारा बाबू से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवा दूंगा, इस पर परिवादी श्री दीपक गौड़ को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया, श्री रामजस कानि. को आवष्यक हिदायत दी गई। दिनांक 30.10.2025 को समय 09.00 एएम पर श्री रामजस कानि. को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर श्री रामजस कानि0 109 को सूरतगढ़ के लिए रवाना किया। समय 02.00 पीएम पर गोपनीय सत्यापन हेतु गया हुआ श्री रामजस कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बंद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए अवगत करवाया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर सूरतगढ़ पहुंचा, जहां पर परिवादी उपस्थित मिला, परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर रणवीर गोदारा बाबू से संपर्क करने हेतु उसके कार्यालय की तरफ रवाना किया मै गोपनीय रूप से बाहर ही मुकिम हो गया था, कुछ समय बाद परिवादी वापिस आया जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया, परिवादी ने बताया कि कार्यालय में रणवीर गोदारा बाबू मिला जिसने मेरे से बिल पास करने की एवज में तीन हजार रूपये हर महिने देने के लिए कहा और दो हजार रूपये ले लिये और बाकी एक हजार रूपये अगले माह देने वाली राशि तीन हजार रूपये के साथ मांगे है पांच दस दिन बाद मैं वापिस उनसे मिलूंगा। परिवादी ने बताया कि अब मुझे घर पर जरूरी काम है इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता इस पर मैने निर्देशानुसार

परिवादी को वहीं छोड़ते हुए वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूं। इस पर सुपुर्दषुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमें परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। आईन्दा परिवादी दीपक गौड़ के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित अलमारी में रखा गया। दिनांक 10.11.2025 समय 06.00 पीएम पर श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक को स्थानान्तरण उपरान्त ब्यूरो से बाद दोपहर कार्यमुक्त करने के आदेश प्राप्त होने पर परिवादी श्री दीपक गौड़ से संबंधित गोपनीय कार्यवाही के दस्तावेज व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये गये। समय 06.15 पीएम पर श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक से प्राप्तशुदा परिवादी श्री दीपक गौड़ से संबंधित प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया, परिवादी द्वारा दिनांक 30.10.2025 को आरोपी रणवीर गोदारा बाबू से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया है जिससे संबंधित डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो उसमें परिवादी से बिल पास करने की एवज में आरोपी द्वारा तीन हजार रूपये हर महिने देने के लिए कहा और दो हजार रूपये ले लिये और बाकी एक हजार रूपये अगले माह देने वाली राशि तीन हजार रूपये के साथ मांगे है, परिवादी के आने पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित अलमारी में रखा। दिनांक 11.11.2025 को समय 04.07 पीएम पर परिवादी श्री दीपक गौड़ से जरिये दूरभाष संपर्क किया गया तो उसने बताया कि मेरी अक्टूबर माह की सैलरी आ गई है, मैं कल आरोपी श्री रणवीर गोदारा बाबू को रिश्वत की राशि दूंगा, मैं कल सुबह रिश्वत राशि 4000/-रूपये की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 04.30 पीएम परिवादी कल दिनांक 12.11.2025 को आरोपी को रिश्वत राशि देने का कहा है इस कारण गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने पर जरिये तहरीर देकर श्री विजय प्रसाद कानि. 123 को कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जनस्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, हनुमानगढ़ के लिए रवाना किया गया। समय 05.15 पीएम पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, हनुमानगढ से श्री विजय प्रसाद कानि. उपस्थित आये व अवगत करवाया की श्री आनन्द प्रकाश कनिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक पारीक खंडीय लेखाकार को कल सुबह 09.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवा दिया गया है। दिनांक 12.11.2025 समय 08.15 एएम पर परिवादी श्री दीपक गौड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया जिसे अवगत करवाया कि आपके प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही मन् अति. पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जायेगी, फिर परिवादी ने अवगत करवाया कि दिनांक 30.10.2025 को श्री रामजस जी मुझे सूरतगढ़ में बस स्टेण्ड के पास मिल गये थे फिर मैं व रामजस जी रवाना होकर एसडीएम कार्यालय के पास पहुंचें थे रामजस जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॅार्डर चालू कर सुपुर्द कर एसडीएम कार्यालय की तरफ भेजा खुद बाहर ही रूक गये थे, मै एसडीएम कार्यालय में गया जहां पर रणवीर गोदारा बाबू उपस्थित मिले जिन्होने मुझसे बिल पास करने की एवज में तीन हजार रूपये हर महिने देने के लिए कहा और दो हजार रूपये ले लिये और बाकी एक हजार रूपये अगले माह देने वाली राशि तीन हजार रूपये के साथ मांगे थे, फिर मै वहां से रवाना होकर वापिस आकर रामजस जी से मिला जिन्होने मेरे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया फिर मैने उन्हे यह बात बता दी थी। फिर मुझे घर पर जरूरी काम था इसलिए मैं उनके साथ नहीं आया वो मुझे वहीं छोडते हुए चले गये थे। आज मैं रणवीर गोदारा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000/-रूपये की व्यवस्था कर साथ लाया हूं। इस पर परिवादी श्री दीपक गौड़ को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 09.45 एएम पर पाबन्दशुदा श्री आनन्द प्रकाश कनिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक पारीक खंडीय लेखाकार, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, हनुमानगढ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। दिनांक 12.11.2025 समय 10.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री आनन्द प्रकाश कनिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक पारीक खंडीय लेखाकार को मन् अति.पुलिस अधीक्षक के समक्ष बुलवाया जाकर परिवादी श्री दीपक गौड़ से आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी श्री दीपक गौड़ के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से व सत्यापन के संबंध में अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। परिवादी श्री दीपक गौड़ पुत्र श्री कृष्ण कुमार गौड, उम्र-36 वर्ष जाति-ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 28 नया, गौशाला के पीछे, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने आरोपित रणवीर गोदारा बाबू को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच-पांच सौ रूपये के 8 नोट कुल 4,000/- रूपये मुझ अति.पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किये, जिनके नंबर फर्द में अंकित किये गये। रूबरू गवाहन श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. 16 से मालखाना हाजा में से फिनॉलपथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों पर फिनॉलपथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह आनन्द प्रकाश से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 4000 रू. श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. से ही परिवादी के पहने लॉवर की दाहिनी साईड की साईड जेब में सावधानी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाईल न.

पर मिस कॉल / कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे डिस्पोजल के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलपथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित परिवादी श्री दीपक गौड़ को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.45 एएम पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर मन् अति.पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री दीपक गौड़, स्वतंत्र गवाह श्री आनन्द प्रकाश, श्री अभिषेक पारीक ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री खिंयाराम सउनि., श्री हंसराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रामजस कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री विनय विशाल कानि., श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री धर्मवीर स. प्रशासनिक अधिकारी, श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक को परिवादी व ट्रेप कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया गया। मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय, परिवादी श्री दीपक गौड़, स्वतंत्र गवाह श्री आनन्द प्रकाश, श्री अभिषेक पारीक ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री खिंयाराम सउनि., श्री हंसराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रामजस कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री विनय विशाल कानि., श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री धर्मवीर स. प्रशासनिक अधिकारी, श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री मय दिनांक 30.10.2025 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता किया हुआ डी.वी.आर. हमराह लेकर निजी वाहनों से ब्यूरो कार्यालय से सूरतगढ़ की तरफ रवाना हुए। श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि.16 को ब्यूरो कार्यालय में ही आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। समय 12.55 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरौक्त फिकरा का रवानाशुदा एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ के पास पहुंची, परिवादी श्री दीपक गौड़ को आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से संपर्क करने हेतु एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ की तरफ रवाना किया गया, मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ के आस-पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री दीपक गौड़ एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ से बिना कोई ईशारा किये बाहर आकर मन् अति.पुलिस अधीक्षक को मिला व डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री दीपक गौड़ ने बताया की जब मैं एसडीएम कार्यालय गया तो मुझे रणवीर गोदारा बाबू मिला जिसने मेरे से कहा की तू सुनील का दोस्त है मुझे तेरे पर तो विश्वास है लेकिन सुनील पर नहीं है और अपने दोनो के बीच की बात विशाल को क्यों बताई और मुझे कहा की तू चालीस हजार का मेरे से उधार लिये हुए है ऐसा मैसेज डाल कि उसमें से तीस हजार मैने दे दिये है और दस हजार और दे दूंगा यह मैसेज डाल जिसको मैने नकारते हुए कहा की मैने तुम से कोई रूपये उधार नहीं लिये है और बाकि बात शाम को करने की कही फिर मैं वापिस आ गया। उक्त वार्ता मैने डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है जिस पर डी.वी.आर. को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई, उक्त रिकॉर्डिंग की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्यों मय स्वतंत्र गवाहन व परिवादी के मौके से जरिये निजी वाहनों से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुई। समय 02.50 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंची। परिवादी को सुपुर्दशुदा रिश्वत राशि 4000/-रूपये श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. के जरिये प्राप्त कर एक लिफाफे में डालकर श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. के जरिये मालखाना में सुरक्षित रखवायी गई। समय 04.00 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास दिनांक 30.10.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 05.00 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट उपरोक्तानुसार तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 30.10.2025 की वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 251030_1116 है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 8 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री रामजस कानि. 109 से दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क ए-1, मार्क ए-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क ए-1, ए-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1- b8c00079662cfbf8d76b7e67b2af033f375ed262 है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-ए-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सीलड किया जाकर थैली पर मार्क ए-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क ए-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित

मैमोरी कार्ड में दिनांक 30.10.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 251030_1116 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जिस पर Green Tech 4 Micro SD HC I अंकित है जिसे एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, थैली पर हैश वैल्यू अंकित की गई। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 05.05 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पास दिनांक 12.11.2025 को हुई वार्ता से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लेपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 07.45 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट उपरोक्तानुसार तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 12.11.2025 की रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 8 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री रामजस कानि. 109 से दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क बी-1, मार्क बी-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क बी-1,बी-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-b192a4481f705e78d04016400d2ca48b6079dbb5 है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-बी-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सीस्ड किया जाकर थैली पर मार्क बी-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क बी-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 12.11.2025 को हुई रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 251112_1258 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाला जिस पर Simmtronics Micro SD HC 4 GB अंकित है उसे उसके कवर में डालकर स्टेपल कर कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क B देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 07.50 पीएम पर परिवादी श्री दीपक गौड़ ने बताया है कि मै कल रणवीर गोदारा बाबू से वापिस मिलूंगा इसलिए आप कल सुबह सूरतगढ़ आ जाना मैं आपको वहां मिल लूंगा इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया व स्वतंत्र गवाह श्री आनन्द प्रकाश कनिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक पारिक खंडीय लेखाकार, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, हनुमानगढ को भी सुबह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 13.11.2025 समय 10.40 एएम पर पाबन्दशुदा श्री आनन्द प्रकाश कनिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक पारीक खंडीय लेखाकार, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, हनुमानगढ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 10.50 एएम पर श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. से मालखाना में सुरक्षित रखी ट्रेप राशि 4000/रूपये निकलवाकर प्राईवेट निजी गाड़ी के डेस्क बोर्ड में रखवाई गई, मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय, स्वतंत्र गवाह श्री आनन्द प्रकाश, श्री अभिषेक पारीक ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री खिंयाराम सउनि., श्री हंसराज मुख्य आरक्षक, श्री संदीप कुमार मुख्य आरक्षक, श्री रामजस कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री विनय विशाल कानि., श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा., श्री धर्मवीर स. प्रशासनिक अधिकारी, श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री निजी वाहनों से ब्यूरो कार्यालय से सूरतगढ़ की तरफ रवाना हुए। समय 11.55 एएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरौक्त फिकरा का रवानाशुदा चेतक चैराहा सूरतगढ़ के पास पहुंची जहां पर परिवादी श्री दीपक गौड़ उपस्थित मिला। श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. से प्राईवेट निजी गाड़ी के डेस्क बोर्ड में रखी ट्रेप राशि 4000/रूपये निकलवायी, ट्रेप राशि के नोटो का मिलान फर्द सुपुर्दगी से करवाने के पश्चात श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. से ही रूबरू मौतबिरान ट्रेप राशि 4000/रूपये परिवादी दीपक के पहनी लॉवर की दाहिनी साईड की साईड जेब में रखवाकर पूर्वानुसार निर्देश दिये गये। ट्रेप राशि पर पूर्व से फिनोपथलीन पाउडर लगा हुआ है। इस कारण श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. के हाथो को साफ साबुन पानी से धुलवाकर आवश्यक हिदायत कर चेतक चैराहा पर छोड़ा गया व परिवादी दीपक गौड़ व हमराहीयान को साथ लेकर एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ के लिए मौका से रवाना हुई। समय 12.10 पीएम मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरौक्त फिकरा का रवानाशुदा एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ के पास पहुंची, परिवादी श्री दीपक गौड़ को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से संपर्क करने हेतु एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ की तरफ रवाना किया गया, मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ के आस-पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। समय 12.20 पीएम पर परिवादी श्री दीपक गौड़ एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ से बिना कोई ईशारा किये बाहर आकर मन् अति.पुलिस अधीक्षक को मिला व डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर बंद हालत में मुझे सुपुर्द किया जिसे मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री दीपक गौड़ ने बताया की जब मैं एसडीएम कार्यालय गया तो मुझे रणवीर गोदारा बाबू नहीं मिला और मैं वापिस आ गया। परिवादी ने बतया की रणवीर गोदारा के पास नगरपालिका सूरतगढ़ का चार्ज भी है इस कारण हो सकता है कि वो अभी वहां पर गया हो इस कारण कुछ देर बाद वापिस जाउंगा और उससे मिलूगां, जिस पर मन् अति.पुलिस अधीक्षक, परिवादी व मय हमराहीयान के सूरतगढ़ में गोपनीय स्थान पर मुकिम हुए। दिनांक 13.11.2025 समय 03.15 पीएम पर आरोपी के एसडीएम कार्यालय में मौजूद होने की गोपनीय सूचना प्राप्त होने पर

परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने हेतु उसे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत देकर आरोपी से संपर्क करने हेतु एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ की तरफ रवाना किया गया, मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ के आस-पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। समय 03.35 पीएम पर परिवादी श्री दीपक गौड़ एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ से बिना कोई ईशारा किये बाहर आकर मन् अति.पुलिस अधीक्षक को मिला व डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री दीपक गौड़ ने बताया की जब मैं एसडीएम कार्यालय गया तो मुझे रणवीर गोदारा बाबू अपने कमरे नहीं मिला फिर मैने कार्यालय के चुनाव शाखा में देखा तो वहां पर रणवीर गोदारा बाबू उपस्थित था जो अन्य कार्मिकों से बाते कर रहा था मैने उसे मिलने के लिए बुलाया तो उसने कहा कि मेरे पास टाईम नही है मै कोई काम में ब्यस्त हूं तू चला जा इस पर मै वापिस आ गया। उक्त वार्ता मैने डिजिटल वायॅस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की है जिस पर डी.वी.आर. को चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान ट्रेप पार्टी सदस्यों मय स्वतंत्र गवाहन व परिवादी के मौके से जरिये निजी वाहनों से ब्यूरो सूरतगढ़ से बाहर चेतक चौराहा की तरफ रवाना हुई। समय 03.50 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरौक्त फिकरा का रवानाशुदा चेतक चौराहा पहुंची जहां पर परिवादी दीपक गौड़ से रिश्वत में प्रयुक्त राशि 4000/-रूपये के नोटो को गवाह श्री अभिषेक पारिक के जरिये उसकी जेब से निकलवाकर गवाह श्री अभिषेक पारिक के पास सुरक्षित रखवायी गई जाकर परिवादी श्री दीपक गौड़ को मौके से आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया गया, तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान व ओमप्रकाश कानि.ड्रा. के ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुई। समय 05.30 पीएम पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ पहुंची। परिवादी से प्राप्त रिश्वत राशि 4000/-रूपये श्री अभिषेक पारिक से प्राप्त कर हसंराज मुख्य आरक्षक के जरिये मालखाना में सुरक्षित रखवायी गई। स्वतंत्र गवाह श्री आनन्द प्रकाश कनिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक पारिक खंडीय लेखाकार, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, हनुमानगढ को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 05.12.2025 को समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री दीपक गौड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया, परिवादी श्री दीपक गौड़ ने कार्यवाही ड्रोप करने बाबत एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया की मुझ प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.10.2025 को रिश्वत मांग करने वाले सरकारी कर्मचारी रणवीर गोदारा के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया था और दिनांक 30.10.2025 को रिश्वत मांग का रणवीर गोदारा से गोपनीय सत्यापन करवाया था जिस दौरान रणवीर गोदारा ने 3000/-रूपये हर महिने देने के लिए कहा ओर 2000/-रूपये मेरे से ले लिये थे, शेष 1000/-रूपये अगले माह देने वाली राशि 3000/- के साथ मांगे थे। मेरी सैलरी आने के बाद दिनांक 12.11.2025 को मैं आपके कार्यालय में रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4000/-रूपये के साथ उपस्थित हुआ। दिनांक 12.11.25 व 13.11.2025 को टीम के साथ रणवीर गोदारा को रिश्वत लेते हुए पकड़वाने का प्रयास किया था लेकिन उसके द्वारा मेरे से रिश्वत नहीं ली गई थी। अब रणवीर गोदारा को मुझ पर शक हो गया है कि मैं उसे रिष्वत लेते हुए पकड़वा सकता हूं उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया है व मुझे कह दिया कि मेरे आफिस मत आया कर। अब वह मेरे से रिश्वत नही लेगा इस कारण मेरे द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि को मुझ प्रार्थी को वापिस लौटाने की कृपा करें व मेरे द्वारा करवाई गई सत्यापन कार्यवाही पर विधिक कानूनी कार्यवाही नियमानुसार करने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.00 एएम पर जरिये दूरभाष तलब स्वतंत्र गवाह श्री आनन्द प्रकाश कनिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक पारिक खंडीय लेखाकार, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य एंव अभियांत्रिकी विभाग, हनुमानगढ उपस्थित आये। समय 11.20 एएम पर रूबरू गवाहन के गोपनीय सत्यापन कार्यवाही विरूद्ध रणवीर गोदारा बाबू कार्यालय उपखण्ड़ अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर में दिनांक 12.11.2025 में मालवजह सबूतों को सील मोहर करने में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नं. 29 को उपयोग मे लिया गया था उस पीतल की सील के नमूने फर्द मे अंकित किये जाकर फर्द नमूना सील तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कागजत की गई। दिनांक 05.12.2025 समय 11.40 एएम पर परिवादी के प्रार्थना पत्र एंव उसके कथनानुसार इस मामला में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं होने से कार्यवाही बंद की गई। परिवादी दीपक गौड़ के आवेदन पर ट्रेप राशि 4000/-रूपये श्री हसंराज मु0आ0 से मालखाना से मंगवाकर अच्छी तरह से झाड़कर गिनकर रूबरू गवाहन जरिये रसीद वापस लौटाये गये। परिवादी दीपक गौड़ व स्वतंत्र गवाह श्री आनन्द प्रकाश कनिष्ठ सहायक व श्री अभिषेक पारिक खंडीय लेखाकार को आवष्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। इस प्रकार परिवादी परिवादी श्री दीपक गौड़ पुत्र श्री कृष्ण कुमार गौड, उम्र-36 वर्ष जाति-ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 28 नया, गौषाला के पीछे, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर जो वर्तमान में होमगार्ड, राजस्थान गृह रक्षा विभाग के पद पर डयूटि करता है। उसके द्वारा एसडीएम ऑफिस सूरतगढ़ में बतौर होमगार्ड मार्च 2025 से निरन्तर डयूटि की जा रही है, एसडीएम कार्यालय द्वारा डयूटि होमगार्ड कि आवश्यकता भेजने पर कमान्डेन्ट होमगार्ड कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा होमगार्ड की डयूटि एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ में लगाई जाती है, एसडीएम कार्यालय द्वारा प्रत्येक महीने पूर्ण होने पर पूरे महिने कि हाजरी कमान्डेन्ट होमगार्ड कार्यालय श्रीगंगानगर को भिजवाई जाती है, जिस पर उनके द्वारा वेतन बिल बनाकर वापिस एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ को भिजवाया जाता है। बिल को एसडीएम कार्यालय प्रभारी द्वारा प्रमाणित कर ट्रेजरी भिजवाया जाता है, जिसके बाद खाते में

उस महीने का वेतन करीब 24000/-रूपये आ जाता है। एसडीएम कार्यालय सूरतगढ़ का सरकारी बाबू रणवीर गोदारा मेरे सैलरी बिल का काम देखता है, वही बिल प्रमाणित करवाकर ट्रेजरी भेजता है, उक्त बाबू रणवीर गोदारा ने मुझसे सितम्बर 2025 का बिल ट्रेजरी भिजवाकर मेरी सैलरी पास करने की एवज में मुझसे 3000/-रूपये कि रिश्वत मांग कर रह था और कह रहा था कि तुम हर महिने मुझे 3000/-रूपये रिश्वत के दे दिया करो फिर चाहे तुम ऑफिस में रात्रि डयूटि भी मत करना तथा तुहारी यहां हमेशा डयूटि लगवाउंगा और यदि तुम मुझे प्रतिमाह 3000/-रूपये रिश्वत के नही दोगे तो तुम्हारा सितम्बर माह का सैलरी बिल रोक लूंगा तथा तुम्हारी एसडीएम कार्यालय से डयूटि भी हटवा दूंगा।परिवादी दीपक गौड द्वारा आरोपी रणवीर गोदारा के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 30.10.2025 को आरोपी रणवीर गोदारा का रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया तो आरोपी रणवीर गोदारा बाबू द्वारा बिल पास करने की एवज में तीन हजार रूपये हर महिने देने के लिए कहा और दो हजार रूपये ले लिये और बाकी एक हजार रूपये अगले माह देने वाली राशि तीन हजार रूपये के साथ मांगे थे। फिर दिनांक 12.11.2025 व 13.11.2025 को रूबरू गवाहन ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया लेकिन आरोपी रणवीर गोदारा बाबू द्वारा रिश्वत राशि नहीं ली। परिवादी ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि रिश्वत राशि वापस देने व आगे कार्यवाही नहीं करने बाबत निवेदन किया जिस पर परिवादी को राशि वापिस लौटायी। इस प्रकार आरोपी रणवीर गोदारा बाबू द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूप्योग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण करना एंव परिवादी श्री दीपक गौड से बिल पास करने की एवज में तीन हजार रूपये हर महिने देने के लिए कहा और दो हजार रूपये ले लिये और बाकी एक हजार रूपये अगले माह देने वाली राशि तीन हजार रूपये के साथ मांग करना पाया गया। अतः आरोपित श्री रणवीर पुत्र श्री नदंराम गोदारा, जाति-जाट, उम्र-33 वर्ष, निवासी ग्राम पीपासर (चक गोदारान) पीओ-राजियासर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर हालनिवास-म.स. जी-12, राजस्व कॉलोनी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी के सामने, सूरतगढ़ हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला के विरूद्ध वर्णित धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (सुधा पालावत) अति.पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती सुधा पालावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रणवीर पुत्र श्री नदंराम गोदारा, जाति-जाट, उम्र-33 वर्ष, निवासी ग्राम पीपासर (चक गोदारान) पीओ-राजियासर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर हालनिवास-म. स. जी-12, राजस्व कालोनी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी के सामने, सूरतगढ़ हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पवन कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 781 पर अंकित है। (अनिल कयाल) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 531-34 दिनांक 23.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर 2- जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़। उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PAWAN KUMAR MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Anil Kumar Kayal
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/03/2026 17:43:53

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): ANIL KAYAL

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)